न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1312–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–1–2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील राजपुर जिला बड़वानी, प्रकरण कमांक 5/अ–12/2015–16.

.....

राधू उर्फ राधेश्याम पिता मंगत कुम्हार
निवासी राजपुर तहसील राजपुर
जिला बड़वानी म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

आरिफ पिता बाजमीर कुरैशी, मुसलमान
निवासी राजपुर तहसील राजपुर
जिला बड़वानी म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री बी0के0गुप्ता, अभिभाषक– आवेदक
श्री मुकेश तारे, अभिभाषक– अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 8/6/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील राजपुर जिला बड़वानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–1–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार राजपुर जिला बड़वानी के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम राजपुर स्थित सर्वे नम्बर 9/4 व 10/4 रकबा 1.015 हेक्टेयर के समक्ष हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–12/2015–16 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 11–1–2016 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकारों को सीमांकन की सूचना दिया जाना अनिवार्य है जबकि राजस्व निरीक्षक द्वारा आस–पास के पड़ोसी काश्तकारों को तथा शासकीय भूमि पर बने मकान में रहने वाले व्यक्तियों को सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई है ।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा पंचनामें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कौन कौन सी भूमि के भूमिस्वामी पड़ोसी कृषक हैं और कौन कौन से भूमिस्वामी हितबद्ध पक्षकार है और किन किन को सूचना दी गई है । तर्क के समर्थन में 2014 आरएन 69 एवं 2010 आरएन 259 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह न तो पड़ोसी कृषक है और न ही हितबद्ध पक्षकार है ।

(2) आवेदक शासकीय भूमि पर अतिक्रामक है औ वह पड़ोसी कृषक नहीं है इसलिये उसे सूचना देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(3) आवेदक द्वारा अनावेदक की भूमि 18X90 वर्गफीट पर मिटटी डालकर कब्जा किया गया है और संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सुनवाई का उसे पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि का पड़ोसी कृषक शासन है और शासन द्वारा ही सीमांकन किया जा रहा है इसलिये शासन को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन की सूचना आवेदक को विधिवत् नहीं दी गई है । इसके अतिरिक्त सीमांकन में सीमांकन किये जाने संबंधी फील्डबुक एवं नक्शा भी तैयार नहीं किया गया है । स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का किया गया सीमांकन संदिग्ध है । अतः तहसीलदार का सीमांकन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील राजपुर जिला बड़वानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–1–2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष सहित अन्य पड़ोसी कृषकों को विधिवत् सूचना दी जाकर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन करें।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर